2017
00193

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी, अलवर

उनवान .....मु० नं० .....

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त अहकाम जो की तामील में
01/5/18	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कचरा के मुकदमे के साथ पेश हुई। इस प्रा.पत्र से सम्बन्धित वाद प्रतिवादी संख्या 2 को फोटो लेने पर उन्हें सम्मन सवाल नहीं पेश करने पर अर्थदण्ड (खारिज) हो चुका है। अतः इस प्रा.पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रा.पत्र 82 R.T. Act की धारा पर खारिज किया जाता है। मिसल कोषल शुमार लेकर नम्बर से कमी जाकर बाद तामील पावित्र उठता है।	

अध्यक्ष
(उपखण्ड अधिकारी)
राजस्व लोक अदालत
थानागाजी (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner